रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73 REGISTERED No. D. (D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 7] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 12, 1977/माघ 23, 1898
No. 7] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 12, 1977/MAGHA 23, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, byo-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1977

सा०का०नि० 186.—लोक सभा सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1955 के नियम 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए अध्यक्ष एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. नाम और प्रवर्तन.—(1) ये नियम "लोक सभा सचिवालय की अनुग्रह निधि का विनियमन करने वाले नियम" कहलायेंगे ।

(2) ये नियम 3 जनवरी, 1977 से लागू होंगे ।

2. स्थापना.—लोक सभा सचिवालय की अनुग्रह निधि वार्षिक अनुदान द्वारा स्थापित तथा पोषित की जायेगी जिसके लिये प्रति वर्ष बजट में व्यवस्था की जायेगी । इस निधि का प्रबन्ध एक समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें एडिशनल सक्रेटरी (ए), एडीशनल सक्रेटरी (बी) तथा डायरेक्टर आफ लाइब्रेरी, रेफ्रेंस, रिसर्च डाक्युमेंटेशन एंड इंफारमेशन सर्विस होंगे तथा इसके लिये महा सचिव की पूर्व अनुमति और स्वीकृति लेनी होगी । सीनियर पर्सोनल एंड एग्जीक्यूटिव आफिसर (एस्टेबलिशमेंट)/पर्सनल आफिसर समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

3. पात्रता.—इस निधि का उद्देश्य लोक सभा सचिवालय के सेवा के दौरान मरने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारों को सहायता देना है ।

4. आवेदन-पत्र.—ऐसे किसी आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा जो अधिकारी की मृत्यु की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर नहीं दिया जायेगा, जब तक कि विलंब के लिये पर्याप्त स्पष्टीकरण न दिया गया हो । यह अपेक्षा की जाती है कि अधिकारी की मृत्यु के बाद ऐसा आवेदन-पत्र शीघ्र दिया जाना चाहिये ।

5. सहायता अनुदान की राशि मंजूर किये जाने संबंधी शर्तें.—(एक) निधि से सहायता अनुदान की राशि केवल उन्हीं मामलों में दी जायेगी, जहां परिवार की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय होगी ।

(दो) दिवंगत अधिकारी का सरकारी कर्मचारी के रूप में सेवा रिकार्ड उल्लेखनीय होना चाहिये । जिसकी सेवा जितनी अधिक उल्लेखनीय होगी उसका दावा उतना ही अधिक पुष्ट होना चाहिये ।

(तीन) कर्तव्य-परायणता की विशेष भावना से हुये निधन का मामला ऐसे दावे का पुष्ट आधार माना जाये

(चार) साधारणतः ऐसे अधिकारियों के मामलों में प्राथमिकता दी जायेगी जिन्होंने अधिक वर्षों तक सेवा की होगी ।

(पांच) अन्य बातों के समान होने पर, उन अधिकारियों के मामलों में प्राथमिकता दी जायेगी, जिनका वेतनमान अपेक्षाकृत कम होगा ।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1977

सा०का०नि० 197—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1976 कहा जा सकेगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (श्रेणी 3 पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में, "पुस्तकाध्यक्ष (वरिष्ठ)" के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 73 के सम्मुख, कालम 12 के अन्तर्गत प्रविष्टियों में "राज्य या राज्यों के समूह" शीर्ष के अन्तर्गत, मद संख्या 12 के बाद निम्नलिखित मद संख्या अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"13. राजस्थान
14. उत्तर प्रदेश
15. पश्चिम बंगाल"।

[संख्या 1/3/74-बी(ए)]
एम० एल० टण्डन, अवर सचिव

MINISTRY OF INFOMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 19th January, 1977

G.S.R. 197.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Fourth Amendment) Rules, 1976.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, against serial number 73 relating to the post of "Librarian (Senior)", in the entries in column 12, under the heading "States or Group of States", after item 12, the following items shall be inserted, namely:—

"13. Rajasthan
14. Uttar Pradesh
15. West Bengal"

[No. 1/3/74-B(A)]
M. L. TANDON, Under Secy.

श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1976

सा० का० नि० 198—केन्द्रीय सरकार, लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 (1961 का 58) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर नियम, 1963 का निम्नलिखित प्रारूप जैसा कि उक्त धारा की उपधारा (1) में अपेक्षित है, उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की सम्भावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

नियमों का प्रारूप

1. इन नियमों का नाम लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर (प्रथम संशोधन) नियम, 1977 है।

2. लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर नियम, 1963 में,—

(1) नियम 49 में

(i) उप नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा; अर्थात् :—

"इस अधिनियम के अधीन उत्पाद शुल्क के रूप में वसूल की गई उपकर की राशि प्राप्ति शीर्षक "038—संघ उत्पाद शुल्क—डी० माल पर उपकर—लौह अयस्क" में जमा कर दी जाएगी और लौह अयस्क खान उपकर आयुक्त उसके समाधान के लिए उत्तरदायी होंगे तथा इस अधिनियम के अधीन सीमा-शुल्क के रूप में सीमा-शुल्क विभाग द्वारा वसूल की गई उपकर की राशि प्राप्ति शीर्ष "037—सीमा-शुल्क—निर्यात पर उपकर—लौह अयस्क" में जमा की जाएगी।

(ii) उप-नियम 2 में खण्ड 'न' निक्षेप और अग्रिम—भाग 2—1 ब्याज रहित निक्षेप (ख) "आरक्षित निधि लौह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि" पद के स्थान पर "लौह अयस्क खान श्रम कल्याण निधि" खण्ड ञ में आरक्षित निधि (ख) मुख्य गौण शीर्ष ब्याज रहित आरक्षित निधि के स्थान पर "829—विकास और कल्याण निधि—खान कल्याण निधि" पद रखा जाएगा।

(iii) उप नियम 3 में "32—प्रकीर्ण सामाजिक और विकास संगठन—श्रम और रोजगार" पद के स्थान पर "087—श्रम और रोजगार—श्रम विधि के अधीन प्राप्ति, लौह अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर अधिनियम/नियम के अधीन प्राप्ति" पद रखा जाएगा।

(2) अनुसूची में "3—औषधालय के लिए औषधियों, शल्य उपस्करों, मरहम पट्टी इत्यादि" शीर्षक के अधीन,—

(i) उप-शीर्ष "क—औषधि" के अधीन के क्रम संख्या और प्रविष्टियां" के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"1. एसिड एसेटिक
2. एसिड बोरिक
3. एसिड कारबोलिक
4. एसिड ऐसिसेलिक
5. आक्वा डिस्टिलाटा
6. एमोनियम कार्बोनेट
7. एस्पिरिन
8. जेन्सिएन वायलेट
9. बैनेडिक्टस सोल्युशन
10. कसामिन प्रिपरेशन
11. इफेड्राइन हाइड्रोक्लोर (1/2 ग्राम टेबलेट)
12. ईथर
13. इक्सट्रैक्ट ग्ला० लिक्विड
14. फेरी सुफ टेबलेट्स फिरसोलेट
15. ग्लूकोज पाउडर एण्ड इंजेक्शन
16. ग्लीसेरीन